अनुसूचि 1a फार्म सं0–162

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

रंजीत मरांडी
वनाम
16 आना रैयत
मौजा–बड़ा सोनाकर, न0–219

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख.......................................जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 13 / 2019–20

आदेशकी कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तार्र सहित
1	2	3
25.7.19	अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 674/रा0 दिनांक 19.07.2019 के द्वारा मौजा–बड़ा सोनाकर 219 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा–बडा सोनाकर, थाना न0–219 में दिनांक 17.07.2019 को श्री चुड़का बेसरा के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों एवं हल्का कर्मचारी के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री रंजीत मरांडी, पिता–लुभंग मरांडी, ग्राम–बड़ा सोनाकर को मौजा–बड़ा सोनाकर, थाना न0– 219 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बड़ा सोनाकर, थाना न0 219 में ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन मेरे देख–रेख में किया गया, जिसमें श्री रंजीत मरांडी, पिता–लुभंग मरांडी, ग्राम–बड़ा सोनाकर, थाना–कोटालपोखर, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री रंजीत मरांडी एक शिक्षित व्यक्ति है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यो में बड़–चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते है। अतएव इरविन रवि प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है। अतएव अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक रंजीत मरांडी को मौजा–बड़ा सोनकार, थाना न0–219 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 329/प्र0 दिनांक 25.7.19